सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 194/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

हर्षित पुत्र मनोज कुमार जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम्

1. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. मन्जू पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एडवोकेट (वादी)
2. श्री चरणजीत सिह सिद्धू एडवोकेट (प्रति.सं. 1,2,4)
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय दिनांकः—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के भीर्षक में दर्शाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। जिनके नाम चक 8 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 75/40 खाता मनोज कुमार वगैरा ज.स. 2073—76 में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का आपस में काश्त की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए सांझा खाता के अन्य खातों में हुए घरू विभाजन के अनुसार आपस में बंटवारा कर रखा है। अतः उक्त चक के उक्त खाता की आराजी घरू बंटवारा मुताबिक वादी के हिस्सा में निम्नानुसार आई है :—

चक 8 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 75/40 पं.न. 169/170 मु.न. 4 किला नं. 3/.253, 6/1/2/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता 7 ता 9/.253 प्र. 12 ता 14/.253 प्र. 15/1/.228, 15/2/.025 गै.मु. रास्ता 17 ता 19/.253 प्र. 23,24/.253 प्र. प.न. 169/172 मु.न. 10 किला नं. 1,10,11/.253 प्र. 19 ता 24/.253 प्र. 25/1/.228, 25/2/.025 गै.मु. रास्ता वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

लिहाजा बाद तहकीकात वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 8 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 75/40 खाता मनोज कुमार वगैरा ज.स. 2073–2076 की कुल 22.606 है. आराजी मे से 6.072 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है अतः उक्त चक के कुल खाता की कुल 22.606 है. आराजी मे से 6.072 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में प्रति.सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर इस खाता की कुल आराजी मे से 6.072 है. आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे। व इसमें प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग–अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद किया जाकर रकमराज अलग अलग की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2, 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसका वादी ने कोई विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जबाव स्टेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 8 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 75/40 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 4 के अभिभाषक ने बहस मे वाद पत्र मुताबिक काउन्टर क्लेम डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 वादी का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 वादी का ताया है। प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमि दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 एवं 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 4 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 75/40 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज कृषि भूमि मे से वादी हर्षित को 6.072 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 मनोज कुमार का इतना हिस्सा कम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1. वादी हर्षित के हक हिस्सा की भूमि :– चक 8 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 75/40

प.न.	मु.न.	किला नं.
169/170	4	3/.253, 6/1/2/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता 7 ता 9/.253 प्र. 12 ता 14/.253 प्र. 15/1/.228, 15/2/.025 गै.मु. रास्ता 17 ता 19/.253 प्र. 23,24/.253 प्र.
169/172	10	1,10,11/.253 प्र. 19 ता 24/.253 प्र. 25/1/.228,25/2/.025 गै.मु. रास्ता

2. प्रति.संख्या 1 मनोज कुमार के हक हिस्सा की भूमिः– चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
169/173	15	1/.253, 4/.253, 5/1/.228 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7/.253,
168/172	11	15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 25/1/.228, 25/2/.025

3. प्रति.संख्या 2 विनोद कुमार के हक हिस्सा की भूमिः– चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/174	18	1,10,11,12,19,20,21,22/.253 प्र.
166/174	19	22,23,24,/.253 प्र. 25/1/.228 25/2/.025
166/175	20	1/1/.228, 1/2/.025, 2 ता 9/.253, 10/1/.228 10/2/.025, 12 ता 19/.253 प्र. 24, 25/.253 प्र.
167/175	21	1,2,9,10,11,12,20,21/.253 प्रे.

4. प्रति.संख्या 4 मन्जू पत्नी मनोज कुमार के हक हिस्सा की भूमिः– चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
168/173	14	1 ता 4/.253 प्रे. 5/1/.228, 5/2/.025, 7,8,9,12,13,14,17, 18, 19/.253 प्रे.
168/172	11	24/.253

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 194 /2023

हर्षित पुत्र मनोज कुमार जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट सा. नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. मन्जू पत्नी मनोज कुमार जाति जाट नि.नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1,2,4 श्री चरणजीत सिह सिद्धू एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 75/40 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज कृषि भूमि मे से वादी हर्षित को 6.072 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 मनोज कुमार का इतना हिस्सा कम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1 वादी हर्षित के हक हिस्सा की भूमि :– चक 8 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 75/40

प.न.	मु.न.	किला नं.
169/170	4	3/.253, 6/1/2/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता 7 ता 9/.253 प्र. 12 ता 14/.253 प्र. 15/1/.228, 15/2/.025 गै.मु. रास्ता 17 ता 19/.253 प्र. 23,24/.253 प्र.
169/172	10	1,10,11/.253 प्र. 19 ता 24/.253 प्र. 25/1/.228,25/2/.025 गै.मु. रास्ता

2 प्रति.संख्या 1 मनोज कुमार के हक हिस्सा की भूमिः– चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
169/173	15	1/.253, 4/.253, 5/1/.228 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7/.253,
168/172	11	15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 25/1/.228, 25/2/.025

3 प्रति.संख्या 2 विनोद कुमार के हक हिस्सा की भूमिः– चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/174	18	1,10,11,12,19,20,21,22/.253 प्र.
166/174	19	22,23,24,/.253 प्र. 25/1/.228 25/2/.025
166/175	20	1/1/.228, 1/2/.025, 2 ता 9/.253, 10/1/.228 10/2/.025, 12 ता 19/.253 प्र. 24, 25/.253 प्र.
167/175	21	1,2,9,10,11,12,20,21/.253 प्रे.

4 प्रति.संख्या 4 मन्जू पत्नी मनोज कुमार के हक हिस्सा की भूमिः— चक 8 एनटीडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	किला नं.
168 / 173	14	1 ता 4 / .253 प्रे. 5 / 1 / .228, 5 / 2 / .025, 7,8,9,12,13,14,17, 18, 19 / .253 प्रे.
168 / 172	11	24 / .253

नोट :— यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×.....खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20 / 05 / 2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official